

ई नीलामी-बिक्री सूचना

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण वित्तीय आस्ति का पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम-2002 (SARFAESI ACT-2002) की धारा 13(2) सहपठित नियम 5,6,7,8 और 9 के अंतर्गत प्रवृत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक के पास साम्यिक बंधक रखी गई निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में मांग-नोटिस जारी करने के उपरांत उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रवृत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संपत्तियों को कब्जे में ले लिया है और अब प्राधिकृत अधिकारी उक्त संपत्तियों को जो है, जैसा है, जहां है के आधार पर यथास्थिति ई-नीलामी द्वारा बिक्री करने हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित करते हैं।

ऋणी का नाम एवं शाखा	सम्पत्ति स्वामी का नाम	बकाया राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य रु.	अग्रिम रु.	ई-नीलामी की तारीख और समय
श्री छोटेलाल वार्मा (प्रो.न्यूस्वर्णिगा का रजत आभूषण केन्द्र) मुख्य बाजार मुर्धवा रेनुकूट सोनभद्र शाखा-रेनुकूट (0143)	श्रीमती पूजा वर्मा पत्नी श्री छोटेलाल वार्मा	रु.57,73,000/- +ब्याज एवं अन्य खर्च दि.31.03.2015 तक	बंधक जमीन व सम्पत्ति जो श्री मती पूजा वर्मा पत्नी श्री छोटे लाल वर्मा प्लॉट सं.155 क में व 160क में ग्राम खरपाथर तहसील दुदधी सोनभद्र क्षेत्रफल- 2970 वर्गफीट विवेकानन्द कॉलोनी में स्थित है। चौहद्दी: पूर्व में- नाला, पश्चिम में- 8 फीट कच्चा रास्ता, दक्षिण में- पंकज सिंह पटेल की खुली जमीन, उत्तर में- श्री उपेन्द्र कुमार का घर	11.00 लाख	1.10 लाख	दि.11.09.2018 प्रातः 11बजे से 1 बजे तक (प्रत्येक अवसर पर अतिरिक्त 5 मिनट)
श्री अवनीश सिंह व प्रवीण कु. सिंह शाखा-रेनुकूट (0143)	श्री अवनीश सिंह पुत्र श्री प्रवीण कु. सिंह श्री प्रवीण सिंह पुत्र स्व.राज बहादुर सिंह डी64-टी, 231तुर्रा, पिपरी सोनभद्र।	रु.50,95,000/- +ब्याज एवं अन्य खर्च दि.31.03.2015 तक	बंधक घर व सम्पत्ति जिसके मालिक श्री अवनीश सिंह पुत्र श्री प्रवीण कु. सिंह और श्री प्रवीण कु.सिंह पुत्र स्व. राजबहादुर सिंह फ्लैट सं.6, ब्लॉक सं.1, रेहायशी सं. एस-2/ 636/1, 1/6, क्षेत्रफल 1036 वर्गफीट वरुणा इन्क्लेब वार्ड सिकरील वाराणसी में स्थित है। स्थित आवासीय	40.00 लाख	4.0 लाख	
मे.आर.के.आर.एसोसिएट्स शाखा-रेनुकूट(0143) साक्षीदार के नाम: 1.प्रवीण कु.सिंह, 2.रवि प्रकाश सिंह, 3.अवनीश सिंह, 4.यशपाल सिंह, 5.राजीव कु.सिंह, 6.ओम कार सिंह, 7.संजय कु.पटेल गारंटर:समी 7 साक्षीदार का व्यक्तिगत गारंटी	श्री प्रवीण कु.सिंह पुत्र स्व.राजबहादुर सिंह, श्री रवि प्रकाश सिंह पुत्र श्री कांता प्रसाद, श्री अवनीश सिंह पुत्र श्री प्रवीण कु.सिंह बी64(टी) तुर्रा पिपरी सोनभद्र	रु. 60,38,000/- (टीएल) 50,98,000/- (सीसी) +ब्याज एवं अन्य खर्च दि.31.03.2015 तक	खरपाथर स्थित बंधक जमीन जिसका प्लॉट सं.151क में और 194क में मालिक श्री प्रवीण कु.सिंह पुत्र स्व. राजबहादुर सिंह, श्री रवि प्रकाश सिंह पुत्र श्री कांता प्रसाद, श्री अवनीश सिंह पुत्र श्री प्रवीण कु.सिंह चौहद्दी: उत्तर- शिवप्रताप सिंह की जमीन, दक्षिण-शिवप्रताप सिंह की जमीन, पूर्व-नाला, पश्चिम-सम्पर्क मार्ग	49.00 लाख	4.9 लाख	

- नियम एवं शर्तें -

- बिक्री दिनांक **11.09.2018 को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे** के मध्य वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> पर आनलाइन ई-नीलामी द्वारा प्रत्येक मामले असीमित रूप से 5 मिनट का अतिरिक्त समय देते हुए की जाएगी।
- इच्छुक बोलीदाता को पास वैध ई-मेल पता होगा इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए और प्रशिक्षण के लिए कृपया मेसर्स M/s e-Procurement Technologies Limited, A-801, Wall Street-II, Opp. Orient Club, Nr. Gujrat College, Ellis Bridge, Ahmedabad-380006, Gujarat - India Phone No.: (+91) 7940230800 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त Mr. Sobhit Shukla (Etl), Mob. No.: +91-8707586217 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- इच्छुक बोलीदाता को चाहिए की वे अपनी निविदा प्रस्तुत करने और ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व नीलामी से सम्बन्धित निर्वन्धनों एवं शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://www.auctiontiger.net>, Uco Bank website www.ucobank.com से प्राप्त कर लें।
- बोली विहित प्रारूप में संगत व्योरे के साथ शाखा कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
- बोली-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **07.09.2018 को सायं 5.00 बजे तक** है।
- अग्रिम धन यूको बैंक के लिए खाता सं. 01431030100001 आई.एफ.सी. कोड UCBA0000143 तथा आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा यूको बैंक, रेनुकूट शाखा में जमा करना होगा।
- सभी बोली दाताओं को (यूटीआर सं. का उल्लेख करते हुए) बोली-पत्र प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, ऑंचलिक कार्यालय: डी 63/8-1-एम, तुलसीपुर, महमूरगंज, वाराणसी-221010, Phone: 0542-2223123, e-mail: zo.varanasi@ucobank.co.in को प्रस्तुत करना होगा।
- बोली की शुरुआत आरक्षित मूल्य के बराबर की राशि/उससे अधिक राशि किन्तु रु.10,000/- के गुणक में होनी चाहिए। कृपया ध्यान रखें कि प्रथम आनलाइन निविदा (एच1) कम से कम अंतिम तिथि तक प्राप्त निविदा में बोली लगाई गई राशि से कम से कम एक गुणक (रु.10,000/-) अधिक होनी चाहिये।
- ई-निविदा की समाप्ति पर सफल बोलीदाता को उसी दिन खंड 7 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बोली का 25% का राशि (जिसमें अग्रि राशि शामिल नहीं होगी) जमा करानी होगी। खरीद मूल्य का शेष 65% आगामी 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा।
- यदि सफल बोलीदाता उक्त धनराशि 15 दिन के अन्दर जमा करने में असफल रहता है तो बोली को निरस्त समझा जाएगा और अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी।
- असफल बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराशि ई-नीलामी समाप्ति के बाद वापस कर दी जायेगी।
- बिक्री को अंतिम तभी माना जाएगा जब बैंक पुष्टि कर देता है। यदि ऋणी अथवा जमानतदार सम्पूर्ण देय राशि, बिक्री की पुष्टि किये जाने से पूर्व, जमा कर देता है तो बिक्री रद्द हो जायेगी।
- सम्पत्ति की बिक्री जो है जैसे और जहां है के आधार पर की जाएगी (बैंक ने वर्तमान में प्रतीकात्मक रूप से सम्पत्ति का कब्जा ले रखा है) और इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली प्रस्तुत करने के पहले सम्पत्ति के स्वामित्व तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में देयों के बारे में विवेकपूर्ण जांच कर हकविलेख, गुणवक्ता और हकविस्तार के सम्बन्ध में अपने को संतुष्ट करेगा। आनलाइन बोली प्रस्तुत करने के उपरान्त किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अधोहस्ताक्षरी के पास बिना पूर्व सूचना के और बिना कारण बताए विक्रय प्रक्रिया को स्थगित/निलम्बित करने/निबन्धनों एवं शर्तों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- ऋता को सम्पत्ति से सम्बन्धित स्टाप शुल्क का मूल्य, विक्रय प्रमाण-पत्र पंजीयन प्रभार सहित वर्तमान एवं भविष्य में आरोग्य सभी प्रकार के प्रभार जिसमें सरकार को देय सांविधिक देयों, करो दरों तथा अन्य जावकों को देना होगा। विक्रय-पत्र केवल सफल बोलीदाता के पक्ष में जारी किया जाएगा।
- इच्छुक ऋता **03.09.2018 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे** के बीच किसी भी समय सम्बन्धित शाखा में जाकर सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकता है।
- बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियम 2002 और उपरिलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा।
- इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिये प्राधिकृत अधिकारी मो.नं.-9696966232 या यूको बैंक, ऑंचलिक कार्यालय: डी63/8-1 एम, तुलसीपुर, महमूरगंज, वाराणसी-221010, Phone: 0542-2223123, e-mail: zo.varanasi@ucobank.co.in पर सम्पर्क करें।
- उक्त नोटिस जनसामान्य के लिये विशेष रूप से ऋणी और जमानतदार हेतु सूचनार्थ जारी किया जाता है।
नोट: यदि प्रकाशित विज्ञापन में कोई त्रुटि हो जाती है तो अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन को सही माना जाये।